

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Hisar **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0028 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):**
07/08/2026 22:28 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A
3	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Friday **Date from (दिनांक से):** 07/08/2026 **Date To (दिनांक तक):** 07/08/2026

Time Period (समय अवधि): 6 Pahar **Time From (समय से):** 17:50 hrs **Time To (समय तक):** 17:50 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/08/2026 **Time (समय):** 21:33 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 024 **Date and Time (दिनांक और समय):** 07/08/2026 21:33 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 60 Km **Beat No. (बीट सं.):** (s)

(b) **Address (पता):** नजदीक सुरेवाला चौक उकलाना,

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** जगजीत सिंह

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** कृष्ण कुमार

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1993 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	बिठमडा, HISAR, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	बिठमडा, HISAR, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9255230009

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे,
इंस्पेक्टर विजिलेंस,
करनाल ।
श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि मैं जगजीत पुत्र श्री कृष्ण कुमार निवासी बिठमडा थाना उकलाना जिला हिसार का

रहने वाला हूँ और खेती बाड़ी का काम करता हूँ। मेरी मुंह बोली बहन किरण की ससुराल गाँव कन्नडी थाना शहर टोहाना जिला फतेहाबाद में है। मैंने दिनांक 2.7.26 को एस.पी फतेहाबाद को सूचना दी थी कि मेरी मुंह बोली बहन का ससुर रामफल चिट्टा (नशीला पदार्थ) लेने टोहाना जायेगा जिस पर एस.पी साहब ने कहा कि मैंने सिटी थाना टोहाना कुलदीप को कार्यवाही के लिये बोल दिया व एस. एच.ओ कुलदीप ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद मैं मेरी चचेरी बहन किरण व उसका भाई मेरी चाची एस.पी. फतेहाबाद को दोबारा पेश हुये और एस. एच. ओ कुलदीप को थाना में मिले जिसने हमें कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ ही कार्यवाही करूंगा तुम सब किसी के घर पर चिट्टा रखकर पुलिस से कार्यवाही करवाते हो और हमारे खिलाफ मेरी चचेरी बहन के ससुर से एक दरखास्त ले ली जिसके बाद एस.एच.ओ कुलदीप ने मेरी चचेरी बहन व परिवार वालों को थाने में बुलाया और कहा कि तुम भी चिट्टा नशा रखते हो और मेरे को अकेले में बुलाकर मेरे से कहा कि यदि इस दरखास्त की कार्यवाही से बचना चाहते हो तो पाँच लाख रुपये रिश्वत के देने पड़ेंगे नहीं थारे खिलाफ कार्यवाही हो जेगी और मुझे कहा कि मेरा जानकार कृपाल वासी जाजनवाला जिला जीन्द से मिल लो और उसका मोबाईल नम्बर भी मेरे को दिया तो मैंने कृपाल के वट्सप पर काल की तो कृपाल मेरे को मेरे गाँव के बस अड्डा पर मिला और मेरे को कहने लगा कि तारे मामले में एस.एच.ओ कुलदीप से मेरी बात हो चुकी है मैं तुम्हारा मामला एस.एच.ओ से निपटावा दुंगा जिसके लिये तुम्हें एस. एच.ओ कुलदीप के मांगे अनुसार पाँच लाख रुपये देने पड़ेंगे। जिसके बाद कृपाल ने मेरे से 2 लाख रुपये एक बार लिये व 2.50 लाख रुपये अपने किसी जानकार के खाते में ट्रांसफर करवाये। कल दिनांक 06.8.2026 को थाना शहर टोहाना से मेरे पास फोन आया और कहने लगे कि आपको, आपकी चचेरी बहन व उसके परिवार वालों को एस.एच.ओ कुलदीप ने थाना में बुलाया है। जिस पर मैं अपनी चचेरी बहन व उसके परिवार के साथ थाना में गया जहाँ पर कृपाल भी आ गया था तो मेरे को एस.एच.ओ कुलदीप ने कहा कि 50 हजार रुपये रिश्वत के जो बकाया हैं और कृपाल से मिल लेना जो कृपाल ने 50 हजार रुपये लेकर मेरे को आज बुलाया है। मैं कृपाल व एस.एच.ओ कुलदीप बकाया रिश्वत 50 हजार रुपये नहीं देना चाहता हूँ। और मैं कृपाल व एस.एच.ओ कुलदीप को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मैंने रिश्वत की मांग करने बारे में रिकॉर्डिंग भी की हुई है। जिसको मैं आपको बाद में पेश कर दुंगा और रिश्वत में दी जाने वाली 50 हजार रुपये आपको पेश कर रहा हूँ। निवेदन है कि उपरोक्त के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

SD/- जगजीत सिंह

जगजीत सिंह श्री कृष्ण कुमार

निवासी गांव बिठमडा

थाना उकलाना (हिसार)

9255230009

7-8-2026

कार्यवाही पुलिस: आज मन निरीक्षक मय ASI सुबे सिंह 242/AMB, ASI सन्दीप 17/KNL, HC बलदेव 624/AMB, EHC कृष्ण कुमार 1666/RTK गाड़ी सरकारी न0 HR-03GV-5234 जिसका चालक EHC पंकज व निरीक्षक निर्मल सिंह मय ASI राकेश कुमार 5/247, EASI राजकुमार 209/KKR, HC कुलदीप 667/RTK, EHC अनुप 1686/RTK बा सवारी गाड़ी सरकारी न0 HR-03GV-5750 जिसका चालक सिपाही अमित 1656/KNL मय प्राईवेट गाड़ी के साथ बराये कार सरकार नजदीक नरवाना बाईपास था कि कार्यालय से फोन प्राप्त हुआ और शिकायतकर्ता जगजीत सिंह का मोबाईल नम्बर देकर सम्पर्क करने बारे कहा जिस पर मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता जगजीत सिंह से सम्पर्क किया जिसने बतलाया कि वह भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी पर रेड कार्यवाही करवाना चाहता है और जिसने सुरेवाला चौक उकलाना हिसार पर मिलने बारे कहा जो मन निरीक्षक ने रेड कार्यवाही बारे में हालात बारे पुलिस अधीक्षक महोदय रा.स. एवं भ्र.नि. ब्यूरो करनाल को बजरीया मोबाईल बतलाये, जिन्होंने तुरन्त कार्यवाही करने बारे कहा और मन निरीक्षक के द्वारा स्वतन्त्र गवाह नियुक्त करने बारे निवेदन किया तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने श्री रविन्द्र कुमार प्रिन्सिपल PM Shri School उजाना जिला जीन्द को स्वतन्त्र गवाह नियुक्त करके आदेशों को व्हाट्सप के माध्यम से भिजवाया जिसमें स्वतन्त्र गवाह द्वारा छाया गवाह खुद के स्तर पर लाने बारे आदेश किए हैं। मन निरीक्षक ने स्वतन्त्र गवाह से बजरीया फोन सम्पर्क किया और हालात से अवगत करवाकर पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश बारे बतलाया और कार्यालय से एक कर्मचारी साथ लेकर बधोवाला टोल टेक्स पर आने बारे कहा गया जो श्री रविन्द्र कुमार प्रिन्सिपल अपने साथी के साथ बधोवाला टोल टेक्स पर मुलाकी हुआ और एक हस्तलिखित दरखास्त बर खिलाफ कृपाल सिंह प्राईवेट व्यक्ति व SHO कुलदीप PS City टोहाना फतेहाबाद बाबत रिश्वत की मांग करने बारे पेश की और मन निरीक्षक को रिश्वत की मांग करने बारे रिकॉर्डिंग को सुनवाया रिकार्ड आवाज को सुना गया जिसमें रिश्वत राशि की मांग बारे

बातचीत होनी पाई गई है। मन निरीक्षक ने दरखास्त के हालात बारे पुलिस अधीक्षक महोदय रा.स. एवं भ. नि. ब्यूरो करनाल को बजरीया मोबाईल बतलाये जो शिकायतकर्ता की दरखास्त से अपराध जेर धारा 7,7A PC Act 1988 61(2) BNS का घटित होना पाया जाने पर तहरीर बराये कायमी अभियोग, बदस्त EHC कृष्ण कुमार 1666/RTK के अरसाल थाना है बाद कायमी अभियोग पर्चा नम्बर से सूचित किया जावे व अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट इयूटी मजिस्ट्रेट साहब व उच्च अधिकारीगण को भिजवाई जाये। तफतीशी बैग, लैपटाप, प्रिंटर गाड़ी में मौजूद है और अभियोग के आगामी अनुसन्धान हेतु दूसरा अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त किया जाये।

अज- नजदीक सुरेवाला वाला चौक उकलाना

SD/- Arvind

अरविन्द निरीक्षक न. 151/A

रा0स0 एवं भ0 नि0 ब्यू0

करनाल मंडल करनाल

दिनांक 7-8-2026

AT 05.50 PM

अज थाना:- हस्ब आमद तहरीर पर कायमी मुकदमा नं. 28 दिनांक 07.08.2026 धारा 7,7A PC ACT1988 61(2) BNS थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आरिन्दा EHC कृष्ण कुमार 1666/RTK के हाथ वर मौका अनुसंधानकर्ता के पास भेजी जा रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां स्पेशल रिपोर्ट बजरीया EMAIL ID द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब फतेहाबाद व पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद की सेवा में भेजी जा रही हैं। नोट - CCTNS में धारा 61(2) BNS ना होने के कारण मुकदमा धारा 61 BNS में दर्ज किया जा रहा है।

13. **Action taken:** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): I (Inspector)
MANMOHAN

No. (सं.): 435JND to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.

(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Rajbir Singh

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 265h

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):